प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

18 अगस्त 2025

एफआरबीएम के अनुपालन पर प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुपालन पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2025 की प्रतिवेदन संख्या 19 आज संसद में प्रस्तुत की गई । वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 को जुलाई 2004 में लागू किया गया था, ताकि राजकोषीय प्रबंधन में अंतर पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित की जा सके और दीर्घकालिक वृहद आर्थिक स्थिरता बनाए रखी जा सके। एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के नियम 8 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा का प्रावधान है, और वर्तमान प्रतिवेदन में वर्ष 2023-24 के निष्कर्षों पर चर्चा की गई है।

वर्तमान में लागू एफआरबीएम रूपरेखा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि केंद्र सरकार 31 मार्च 2021 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तीन *प्रतिशत* तक सीमित करे और वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक सामान्य सरकारी ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 60 *प्रतिशत* और केंद्र सरकार के ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के 40 *प्रतिशत* तक सीमित करने का प्रयास करे। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट भाषण में वित्तीय वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.5 *प्रतिशत* से कम स्तर पर लाने के लिए व्यापक राजकोषीय समेकन का मार्ग अपनाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। यह प्रतिबद्धता वित्तीय वर्ष 2023-24 और वित्तीय वर्ष 2024-25 के मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) विवरणों में भी दोहराई गई। एमटीएफपी 2025-26 में सरकार ने कहा कि देश वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में 4.5 *प्रतिशत* से नीचे लाने की दिशा में बढ़ रहा है। (पैरा 1.1)

2019-2024 की पाँच वर्षीय अवधि के विश्लेषण से पता चला कि केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 61.38 *प्रतिशत* था और इसके बाद लगातार घटकर मार्च 2024 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद का 57.00 *प्रतिशत* रह गया। वित्तीय वर्ष 2022-

23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार का कुल ऋण ₹15.58 लाख करोड़ या 9.98 *प्रतिशत* बढ़ा, जिसका मुख्य कारण आंतरिक ऋण में ₹16.24 लाख करोड़ की वृद्धि, बाहरी ऋण के वर्तमान मूल्य में ₹0.48 लाख करोड़ की वृद्धि और लोक लेखों की देनदारियों में ₹0.57 लाख करोड़ की वृद्धि थी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान केंद्र सरकार के ऋण और सकल घरेलू उत्पाद की प्रवृत्ति से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2023-24 के बीच केंद्र सरकार के ऋण के संचय की गति सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि से कम थी। (पैरा 2.1.1)

ऋण स्थिरता, जिसे ऋण स्थिरीकरण संकेतक से मापा जाता है, 2023-24 में धनात्मक रही, जो स्थिरता की दृष्टि से एक सकारात्मक संकेत है। ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात सरकार की राजकोषीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। यह दर्शाता है कि सरकारी राजस्व का कितना हिस्सा ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अनुपात वित्तीय वर्ष 2020-21 में 38.66 *प्रतिशत* के उच्चतम स्तर पर था, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में घटकर 33.99 *प्रतिशत* हो गया, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 में बढ़कर 35.35 *प्रतिशत* और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 35.72 *प्रतिशत* हो गया। (पैरा 2.2)

एफआरबीएम रूपरेखा में यह भी प्रावधान है कि केंद्र सरकार किसी भी वित्तीय वर्ष में भारत की संचित निधि (सीएफआई) की प्रतिभूति पर सकल घरेलू उत्पाद के आधे *प्रतिशत* से अधिक के लिए अतिरिक्त गारंटी नहीं देगी। वित्तीय वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त गारंटियाँ सकल घरेलू उत्पाद के आधे *प्रतिशत* की निर्धारित सीमा के भीतर रहीं। (पैरा 2.3)

बजट एक नजर (बीएजी) 2025-26 में राजकोषीय घाटे (₹16.55 लाख करोड़) के आंकड़े यूजीएफए 2023-24 से एफआरबीएम अधिनियम, 2003 के अनुसार गणना किए गए आंकड़ों (₹16.02 लाख करोड़) से भिन्न थे। (पैरा 2.5)

प्रतिवेदन से यह भी पता चला कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंत में ₹31.11 लाख करोड़ कर के रूप में जुटाए गए थे, लेकिन अभी तक वसूल नहीं किए गए (विवरण डी1: कर राजस्व जुटाया गया किंतु वसूल नहीं किया गया)। यह अवसूलित राशि पिछले वर्ष की तुलना में ₹9.81 लाख करोड़ अधिक थी, जिसमें से ₹6.63 लाख करोड़ अविवादित थे। डी2 विवरण (ब्याज बकाया) में कुछ पारदर्शिता से जुड़ी समस्याएँ पाई गईं, जहाँ आंकड़े संघ सरकार के वित्तीय लेखों से भिन्न थे। इसके अलावा, डी4 विवरण में दर्शाई गई वित्तीय परिसंपत्तियों (विदेशी सरकार और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को दिए गए ऋण) की राशि प्राप्ति बजट में भिन्न थी। अंततः, अर्धवार्षिक विवरण (एच1, एच2) और मध्यम-अवधि राजकोषीय नीति विवरण में प्रयुक्त विभिन्न राजकोषीय मानकों के बजट अनुमान के आंकड़े वार्षिक

वित्तीय विवरण 2023-24 के आंकड़ों से भिन्न थे। (पैरा 3.1.1; 3.1.2; 3.2)

BSC/SS/IK/52-25